



झारखण्ड सरकार

## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह


ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-4729 दिनांक 04.06.2007 एवं संकल्प संख्या-6440 दिनांक 17.07.2012, पत्रांक-6718 दिनांक 28.07.2012 संकल्प सं0-(N) 848 दिनांक 21.03.2017 एवं पत्रांक-(N) 1786(अनु0) दिनांक 12.06.2017 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत लेखा सहायक के पद पर आपको संविदा आधारित एवं एकमुश्त मासिक परिलब्धि पर अगले एक वर्ष तक के लिए रखा जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची निम्नवत है :-


मेधा क्रमांक	Personal ID	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	कोटि
1	2	3	4	5	6	7
<b>अनारक्षित कोटि</b>						
1	DRDA90001894	PAWAN KUMAR	SUDHIR KUMAR KUSHWAHA	VILLAGE-GIRIDIH, PO- SIMARIYA PS-DHANWAR DIST GIRIDIH (JHARKHAND) 825412	15-11-1994	GEN
2	DRDA90001000	MD DAUD HUSSAIN	JAKIR HUSSAIN	AT KUSAIYA POST REMBA PANCHAYAT SHALI PS HIRODIH DIST GIRIDIH JHARKHAND	29-04-1995	BC1
<b>अत्यंत पिछड़ा वर्ग</b>						
1	DRDA90003962	JEETENDRA KUMAR THAKUR	SOMAR THAKUR	VILL- BAROTAND PO GANDO PS BIRNI DIST GIRIDIH JHARKHAND PIN CODE 825324	23-01-1991	BC1


सेवा शर्तें :-

- लेखा सहायक के पद पर नियुक्ति संविदा आधारित पूर्णतः अस्थायी होगी।
- लेखा सहायक के पद हेतु एकमुश्त परिलब्धि 10000/- (दस हजार) रु0 प्रति माह निर्धारित है।
- संविदा के आधार पर नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष के उपरांत नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन गिरिडीह जिला के किसी प्रखण्ड में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगा।
5. यदि कोई कार्यरत कर्मी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी।
6. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा में आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में उसे एक माह के लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।
8. यह नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिये गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षोपरांत उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
9. योगदान देने के समय अभ्यर्थी अपना मूल आचरण प्रमाण पत्र, सिविल सर्जन द्वारा निर्गत मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र, दहेज न लेने-देने का घोषणा पत्र सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित देना आवश्यक है।


  
निदेशक 08/09/2020  
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।  
31/08/2020


  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।


  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
नियुक्ति समिति (मनरेगा),  
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....1528/अभि0 गिरिडीह, दिनांक.....01/09/2020

प्रतिलिपि:- सभी सफल अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिनांक 08.09.2020 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।

  
निदेशक 08/09/2020  
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,  
डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।  
31/08/2020

  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
नियुक्ति समिति (मनरेगा),  
गिरिडीह।